प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील खुर्जा के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों के तालाबों को मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टे पर उठाने के लिए पट्टा शिविर का आयोजन तहसील सभाकक्ष में तहसीलदार खुर्जा के दिनांक 31.07.2015 को प्रातः 11.00 बजे किया जायेगा। पट्टा नीलामी शिविर की कार्यवाही तहसीलदार खुर्जा की अध्यक्षता में की जायेगी। पट्टा शिविर में पट्टा आवंटन की कार्यवाही शासनादेश संख्या–3756–1–2/95–रा0–2 दिनांक 17.10.1995 के आधार पर पंजीकृत मछुआ समितियों/समुदाय/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। पट्टा नीलामी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार 22,500/– रूपये प्रति है0 प्रति वर्ष के हिसाब से बोली प्रारम्भ की जायेगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि व नियत समय पर उपस्थित होकर नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित हों। उपस्थित व्यक्तियों में से नीलामी की बोली के आधार पर मत्स्य पालन नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। पट्टा स्वीकृति/अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय, खुर्जा को होगा।

ग्रामों की सूची जिनमें मत्स्य पालन हेतु तालाब/पोखर उपलब्ध हैं।

क्र0सं0	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल है0 में	विवरण
1	2	3	4	5
1	सनैता शफीपुर	427स	0.556	
2	क्यौली खुर्द	556	0.379	
		556म	1.429	
3	कलाखुरी (खुर्जा)	92	0.582	
		178	0.379	
4	बिजलीपुर	229	0.696	
5	धराउं	258/2	0.683	
		673	0.228	
6	जवां	205	0.531	
7	अगौरा अमीरपुर	1033	0.860	
8	रोहिन्दा	348	0.341	
		600	1.695	
9	बिचौला	801	0.647	
10	जावल	239	0.917	
		343	0.739	

तहसीलदार
खुर्जा।

पत्रांक– 1904(4) /र0का0/मत्स्य नीलामी   दिनांकः– 2-7-15

प्रतिलिपिः–

1– जिलाधिकारी महोदया, बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ।
2– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, बुलन्दशहर/शिकारपुर/सिकन्द्राबाद, स्याना, डिबाई, अनूपशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– अपर जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को उक्त विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।
4– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया नेट पर डालने का कष्ट करें।
5– सहायक निदेशक मत्स्य, बुलन्दशहर को इस आशय कि पटटा शिविर में मत्स्य निरीक्षक की उपस्थिति हेतु श्री इन्द्रपाल सिंह को आदेशित करने का कष्ट करें ।
6– नायब तहसीलदार खुर्जा/अरनिया, मैना मौजपुर को नीलाम अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
7– नायब नाजिर खुर्जा को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को सहज दृष्य नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करें।
8– रजिस्ट्रार कानूनगो खुर्जा को उक्त नीलामी शिविर की कार्यवाही नियमानुसार कराये जाने हेतु।
9– राजस्व निरीक्षक, खुर्जा, मैना मौजपुर, अरनियां को इस निर्देश के साथ कि वह अपने–2 क्षेत्र से सम्बन्धित ग्रामों के लेखपालों को उक्त मत्स्य पालन नीलामी के सम्बन्ध में मुनादी आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार कराये जाने एवं मुनादी की प्रति निर्धारित पट्टा शिविर की तिथि पर उपलब्ध कराये जाने हेतु।
10– सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान/अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति को इस निर्देश के साथ कि उक्त नीलामी के सम्बन्ध में अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार
खुर्जा।